

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा-4(1)

बिन्दु क्रमांक 21

आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं

निराकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र एवं निराकरण

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश तथा अधिनिस्थ कार्यालयों के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत 01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक कुल 45 प्राप्त आवेदन पत्र में से 38 निराकृत किये गये हैं तथा शेष आवेदन पत्र 07 प्रक्रियाधीन है। उक्त अवधि में अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत एक प्रथम अपील प्राप्त हुई है जिनमें से एक प्रथम अपील निराकृत कर विवेचानात्मक आदेश पारित किया है।